सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 05, सोमवार, *शाके* 1947- मई 26, 2025 *Jyaistha 05, Monday, Saka 1947- May 26, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2025

जी.एस.आर.82 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)/एफडी/एसपीएफसी/2024 दिनांक 19.12.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार,राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (तृतीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"(क) उपापन संस्था किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी और यदि उपापन का मूल्य एक लाख रुपये या उससे अधिक है तो बोली के आमंत्रण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगी। उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली के आमंत्रण को प्रदर्शित नहीं करेगी जहां,-

(i) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं उप-नियम (1) के खण्ड (क) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित हों; या

(ii) उपापन इकाई की यह राय है कि उपापन की विषय-वस्तु धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड.) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है।

तथापि, ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भाड़े पर ली जाती हैं, कार्य आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।"

[सं.एफ.2(3)एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2024]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.